उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या– 2051/9–1–2022–64टी.ए./20
लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2022

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत तरकुलवा, जिला–देवरिया का गठन करने हेतु नीचे अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या–2389/9–1–2020–64टी.ए./20, दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 जारी करके तद्दिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या–1266/9–1–2022–64टी./20, दिनांक 09 जून, 2022 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243–थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची में दी गयी है, भारत का संविधान के भाग नौ–क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत तरकुलवा, जिला–देवरिया के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची–1

नगर पंचायत तरकुलवा, जिला–देवरिया का प्रादेशिक क्षेत्र–

दिशा	सम्मिलित ग्राम व गाटा संख्याएं
पूर्व	1–कनकपुरा–1 से 1523 तक
पश्चिम	2–तरकुलवा–01 से 1835 तक 3–जमुनी– 01 से 1171 तक 4–परसौनी– 01 से 455 तक
उत्तर	5–अल्खीछापर उर्फ लक्ष्मीपुर– 1 से 330 तक 6–बालपुर श्रीनगर–01 से 452 तक
दक्षिण	7–सिरसिरा पट्टी हुसैन–01 से 533 तक

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना का एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक–22 जुलाई, 2022 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50–50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) मण्डलायुक्त, गोरखपुर, मण्डल, गोरखपुर।
(2) जिलाधिकारी, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
(5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.- 2051 /9-1-2022-64TA/20 dated July 22 2022.

NOTIFICATION

No- 2051 /9-1-2022-64TA/20
Lucknow; Dated: July 22, 2022

WHEREAS Notification no.-2389/IX-1-2020-64T.A./20 dated December 12, 2020 was issued and published in Gazette with a view to invite objections and suggestions for issuance of notification for specifying the area mentioned in the Schedule below as transitional area for constituting Nagar Panchayat Tarakulwa in District Deoria as required under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no-II of 1916);

AND WHEREAS the objections and suggestions received in pursuance of said notification were disposed of vide Government order no.-1266/IX-1-2022-64T./20 dated June 09, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P.Act no-II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance is pleased to specify that the local area the limits of which are given in the Schedule below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Tarkulwa in District Deoria.

SCHEDULE-1

Territorial area of Nagar Panchayat Tarakulwa, District Deoria

Direction	Included Village and their Gata Nos.
East	1–Kanakpura-01 to 1523
West	2-Tarkulwa- 01 to 1835 3-Jamuni-01 to 1171 4-Jamuni-01 to 455
North	5-Alkhichhapar urf Laxmipur-01 to 330 6-Balpur Shrinagar-01 to 452
South	7-Sirsiya patti Husain

(Amrit Abhijat)
Principal Secretary